8/7/16 पत्रावली पेश हुई अधि. अपपक्ष उप. प्रपत्र पर अपपक्ष को सुना गया। संक्षिप्त वादेपत्र इस प्रकार है कि प्रार्थीगणने प्रापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजि नाम मुतनाजा वादि के प्रार्थीगण 'अ' प्रापत्र प्रार्थीगण से बिना औकारद की एवं उनके बाप दादाओं की तयय की थी और जोते है प्राप्त हुई यह साबिक रिवाजी जोतदी अपन्दाज्ञा जमा, उदार रामा के नाम लगी रामा बचपन में ही लाओलाद फौत हो गया। जिसके कारण प्रतिवादीगण की बिना उदार जमा के नाम लगानी चाहिए थी उदा के फौत होने पर रामाव अमार के ला ओलाद फौत होने पर अकेले के नाम लिपे दारि कर दी यानी अतः इसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं हुआ अकेले का हिस्से में नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
देवली/टोडारायसिंह (टोंक)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
होने से वह मुश्तरका की अन्तरण करने पर रोक की अतः उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थी का प्रा० पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई अप्रार्थी नं. 1 ने जवाबदावा पेश किया जिसमें ओवाद की लाओलाद फौत होना बताया तथा जमाबंदी सम्वत् 2012-15 में बहैसियत वारिस नामान्तरकरण किया गया वह अकेला ही कब्जे में आ गया है इस प्रकार प्रार्थीगण का मुश्तरका खातेदारी से कोई हक हिस्सा नहीं बनता है प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। हमने पक्षकारों की बहस अधिवक्ता का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात को देखा विद्वान अधिवक्तागण को सुना प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2071-74 खाता नं. 79 में अप्रार्थी साथ प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिससे स्पष्ट होता है कि अकांत की प्रार्थीगण जायदाद जायज वारिस होते हैं अतः अकांत की मृत्यु के उपरांत नियमानुसार हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है इस प्रकार राधा के लाओलाद फौत होने के उपरान्त व अकांत होने से 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा होना चाहिए था इस प्रकार प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी नं. 1 का 1/2 हिस्सा होना चाहिए ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थी नं. 1 को उनके 1/2 हिस्से तक पाबंद करवाने के अधिकारी प्रतीत होते हैं। शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी का बनता है जिसके लिए वह स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि० 6/1/16 को संशोधित किया जाकर अप्रार्थी नं. 1 को दावे के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मुश्तरका खातेदारी जमाबंदी सम्वत् 2071-74 खाता नं. 79 बाबत प्रार्थी का हिस्सा (1/2)	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	खाता सं 78 के कुल किता 7 रकबा 5.08 है0 में हि0 1/2 की काश्तकार को किसी प्रकार के तीसरे व्यक्ति को अन्तरित या हस्तान्तरित नहीं करे। विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं करावें/करें। आदेशानुसार TDR रद्द की संशोधित आदेश जारी हो आदेश मेरे द्वारा लिखाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से [illegible] होकर मुताबिक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रही Sd/- उपखण्ड अधिकारी पीपलू/देवली/टोडारायसिंह (टोंक)